Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

राजेश सोनी पुत्र राजेन्द्र कुमार सोनी जाति सोनी निवासी चक 5 पी तहसील अनूपगढ़

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

प्रकरण सं.– 30 / 2023

किस्म मुकदमा:–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार अनूपगढ़ हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील भूमि यथा तहसील अनूपगढ़ के चक 5 पी के मुरब्बा न. 200/18 की 6.072 है0 भूमि आवंटी वेदप्रकाश पुत्र हरीकिशन वर्मा निवासी 5 पी तहसील अनूपगढ़ के नाम से आवंटित थी तथा आवंटी वेदप्रकाश ने अपनी उक्त आवंटित भूमि अपीलांट के पिता राजेन्द्र कुमार को जरिये इकरारनामा दिनांक 11.05.1984 को विक्रय कर मौका पर कब्जा अपीलांट के पिता को सौंप दिया। उस दिन अपीलांट के पिता का सदभाविक खरीददार की हैसियत से कब्जा चला आ रहा था तथा अपीलांट के पिता के देहान्त के उपरांत विधिक वारिस होने के नाते अपीलांट का सदभाविक खरीददार की हैसियत से निरंतर व शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। उक्त रकबा के नियमन बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 21 नियम 9 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1975 के तहत उपखण्ड़ अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का दरकिनार करते हुए अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर जैर अपील भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलांट की काश्तशुदा फसल को कुर्क करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जावे। पैरोकार राज अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट ने जैर अपील रकबा पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा रकबा के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नही किये। निर्णय सही एवं नियमानुसार ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट जैर अपील रकबा पर किस हैसियत से काबित है, इस संबंध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली गहनता से अवलोकन करने से पाया कि पटवारी हल्का के प्रतिवेदन पर दिनांक 10.02.2023 को प्रकरण दर्ज किया गया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.02.2023 का अवलोकन करने से पाया कि वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने आगामी तारीख देने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2023 नियत की गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.02.2023 को जैर अपील कुर्की आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर फसल कुर्की संबंधी आदेश निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अपीलांट दिनांक 16.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar

Date: 2023.06.13 11:17:43 IST

Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner